Swami Vivekananda Advanced Journal for Research and Studies
Online Copy of Document Available on: www.svajrs.com

ISSN:2584-105X Pg. 34-41

सामाजिक दायित्व के सिद्धांत: गांधीवादी दर्शन तथा आधुनिक नैतिकता

कु० रिद्धि
शोध छात्रा (दर्शनशात्र विभाग)
दीन दयाल उपध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय,
गोरखपुर उत्तर प्रदेश भारत

Accepted: 18/12/2025
Published: 30/12/2025 *DOI: http://doi.org/10.5281/zenodo.18100954*

सारांश

इस शोध पत्र में सामाजिक दायित्व के सिद्धांत को महात्मा गांधी के दर्शन और आधुनिक भारतीय नैतिक चिंतन के संदर्भ में विश्लेषित किया गया है। गांधीवादी दर्शन में सत्य, अहिंसा, करुणा, स्वावलंबन और ट्रस्टीशिप (न्यासिता) जैसे सिद्धांतों के माध्यम से व्यक्ति और समुदाय दोनों के लिए सामाजिक दायित्वों पर जोर दिया गया है। गांधीजी ने यह प्रतिपादित किया कि अधिकारों की उत्पत्ति का सच्चा स्रोत कर्तव्यों का पालन हैs, अर्थात् प्रत्येक व्यक्ति को अपने कर्तव्य निभाने पर समाज में अधिकार स्वतः प्राप्त होंगे। आधुनिक भारतीय नैतिकता में भी, विशेषकर स्वतंत्र भारत के समाज सुधारकों एवं विचारकों के कार्यों में, सामाजिक दायित्व की अवधारणा को केंद्रीय महत्व मिला है। ट्रस्टीशिप का गांधीवादी सिद्धांत वर्तमान में कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (CSR) और परोपकार के रूप में परिलक्षित होता है। विनोबा भावे जैसे गांधीवादी अनुयायियों ने भूदान आंदोलन के माध्यम से सामाजिक उत्तरदायित्व को बढ़ावा दिया, तो आधुनिक भारत में डॉ. ए.पी.जे. अब्दुल कलाम जैसे विचारकों ने युवाओं में नैतिक मूल्यों व समाज-सेवा की भावना जागृत करने पर बल दिया। इस अध्ययन में गांधीवादी और समकालीन भारतीय नैतिक दृष्टिकोणों की तुलना करते हुए यह निष्कर्ष निकाला गया है कि सामाजिक दायित्व की भावना एक नैतिक सेतु है जो व्यक्तिगत आध्यात्मिकता को सामूहिक कल्याण से जोड़ती है। गांधीवादी दर्शन और आधुनिक नैतिकता दोनों इस बात पर सहमत हैं कि एक न्यायपूर्ण, समतामूलक व नैतिक समाज के निर्माण के लिए प्रत्येक व्यक्ति एवं संस्था का अपने दायित्वों का निष्ठापूर्वक निर्वहन करना अनिवार्य है।

मुख्य शब्द :- *सामाजिक दायित्व, गांधीवादी दर्शन, आधुनिक नैतिकता, कर्तव्य, ट्रस्टीशिप, सर्वोदय*

परिचय

मानव समाज का सतत एवं संतुलित विकास केवल अधिकारों की मांग पर नहीं, बल्कि *कर्तव्यों के पालन* पर आधारित होता है। सामाजिक दायित्व का सिद्धांत इस धारणा पर बल देता है कि प्रत्येक व्यक्ति, समुदाय और संस्था का यह उत्तरदायित्व है कि वह अपने व्यवहार एवं कार्यों से समाज के कल्याण में योगदान दे। भारतीय परिप्रेक्ष्य में, कर्तव्य-प्रधान विचारधारा की जड़ें हमारी सांस्कृतिक और दार्शनिक परंपरा में गहरी हैं। प्राचीन भारतीय दर्शन (जैसे भगवद्गीता का निष्काम कर्मयोग) से लेकर आधुनिक काल तक, नैतिकता का अर्थ दूसरों के प्रति हमारे कर्तव्य-बोध से जुड़ा रहा है। महात्मा गांधी ने इसी परंपरा को 20वीं सदी में नए सिरे से परिभाषित किया। उन्होंने व्यक्तिगत आचरण को सामाजिक उत्थान से जोड़कर यह दर्शाया कि *व्यक्ति की नैतिकता समाज की नैतिकता का आधार है*।

स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान गांधीजी ने अधिकारों की लड़ाई को कर्तव्यों के मार्ग से संचालित किया। उनका मानना था कि व्यक्ति और समाज के **अधिकार** सुरक्षित रखने का मार्ग प्रत्येक व्यक्ति के **कर्तव्य-पालन** से होकर जाता हैs। ब्रिटिश शासन के विरुद्ध संघर्ष में भी गांधीजी ने अहिंसक साधनों (सत्याग्रह) को अपनाकर सत्य और नैतिकता की शक्ति पर भरोसा किया। समाज में नैतिक मूल्यों की स्थापना के बिना स्थायी परिवर्तन असंभव है – यह गांधीवादी दर्शन का केंद्रीय संदेश था।

स्वतंत्रता के पश्चात् भारत में नैतिक और सामाजिक दायित्व को संस्थागत रूप देने के प्रयास हुए, जिनमें संविधान में नागरिकों के मूल कर्तव्यों का समावेश, तथा शिक्षा व प्रशासन में नैतिक शिक्षा पर बल शामिल हैं। समकालीन भारतीय विचारकों – चाहे वे सामाजिक कार्यकर्ता हों, राजनेता हों या शिक्षाविद – सभी ने अपने-अपने तरीके से सामाजिक दायित्व के महत्व को रेखांकित किया है। उदाहरणस्वरूप, डॉ. ए.पी.जे. अब्दुल कलाम जैसे वैज्ञानिक-दार्शनिक ने युवाओं को देश एवं समाज के प्रति अपने उत्तरदायित्व निभाने के लिए प्रेरित किया; उन्होंने कहा था कि शक्ति के साथ उत्तरदायित्व भी उतना ही आवश्यक है और विज्ञान व तकनीक का उपयोग नैतिक मर्यादाओं में रहकर होना चाहिए (कलाम, 2015)।

इस शोध पत्र में आगे, पहले गांधीवादी दर्शन में सामाजिक दायित्व के विभिन्न पहलुओं का विश्लेषण होगा, और तत्पश्चात आधुनिक भारतीय नैतिक चिंतन में सामाजिक दायित्व की अवधारणाओं एवं प्रयासों की चर्चा की जाएगी। बीच में एक तालिका के माध्यम से गांधीवादी सिद्धांतों तथा आधुनिक नैतिक दृष्टिकोण की तुलनात्मक झलक प्रस्तुत की गई है, जिससे दोनों के बीच साम्य एवं अंतर स्पष्ट हो सके।

गांधीवादी दर्शन में सामाजिक दायित्व

गांधीवादी दर्शन का मूल सार मानवता के प्रति प्रेम, सत्य के प्रति अडिगता, और प्रत्येक व्यक्ति द्वारा अपना नैतिक कर्तव्य निभाने में निहित है। महात्मा गांधी ने सत्य (Truth) और अहिंसा (Non-violence) को जीवन के सर्वोच्च मूल्य माना, जिन पर टिके अन्य सामाजिक-नैतिक सिद्धांत विकसित हुए। गांधीजी के प्रमुख नैतिक सिद्धांतों – सत्य, अहिंसा, अस्तेय (चोरी न करना), ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह (अधिक संचय न करना) – का हर एक समाज में दायित्वबोध से संबंध है। सत्य और अहिंसा जहाँ व्यक्तिगत व सामाजिक आचरण के शुद्धिकरण हेतु आवश्यक हैं, वहीं *अपरिग्रह* और *अस्तेय* सीधा-सीधा इस बात से जुड़े हैं कि व्यक्ति समाज के संसाधनों का दुरुपयोग न करे और अपने हिस्से से अधिक का संग्रह न करे। इस प्रकार, गांधीवादी जीवन-दर्शन व्यक्ति को *नैतिक अनुशासन* द्वारा समाज के प्रति अपने दायित्व निभाने के लिए प्रेरित करता है।

विशेष रूप से, गांधीजी ने *अधिकारों और कर्तव्यों* के बीच संतुलन पर जोर दिया। हिंद स्वराज (1909) में उन्होंने ब्रिटिश समाज का उदाहरण देते हुए लिखा कि वहाँ हर कोई अपने अधिकारों की मांग में लगा है और कर्तव्यों की कोई चर्चा

नहीं करता; जबकि *"अधिकारों की उत्पत्ति का सच्चा स्रोत कर्तव्यों का पालन है"*s। गांधीजी का तर्क था कि वास्तविक स्वतंत्रता (सच्चा स्वराज) का अर्थ स्वअनुशासन एवं आत्म-नियंत्रण है, न कि केवल बाहरी बंधनों से मुक्ति। जब प्रत्येक व्यक्ति अपने कर्तव्य का पालन करता है, तब स्वतः ही दूसरों के अधिकारों की रक्षा होती रहती है। इस प्रकार, सामाजिक दायित्वों के निर्वहन से ही समाज में अधिकारों का संतुलित एवं न्यायसंगत वितरण सुनिश्चित होता है।

ट्रस्टीशिप का सिद्धांत: संपत्ति पर सामाजिक अधिकार

सामाजिक दायित्व के गांधीवादी सिद्धांत का सर्वोत्तम प्रकटीकरण उनके ट्रस्टीशिप (Trusteeship) के सिद्धांत में मिलता है। ट्रस्टीशिप का अर्थ है कि *धन या संपत्ति के वास्तविक मालिक उसके अर्जक नहीं, बल्कि समाज होता है*। गांधीजी के अनुसार जो व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं से अधिक संपत्ति जुटाता है, उसे उस अतिरिक्त संपत्ति का उपयोग निजी लाभ के लिए करने का नैतिक अधिकार नहीं है। उसे स्वयं को मात्र एक *ट्रस्टी (न्यासी)* मानते हुए अतिरिक्त संसाधनों का प्रयोग समाज के कल्याण हेतु करना चाहिए। गांधीजी ने दक्षिण अफ्रीका के प्रवास के दौरान 1903 में ट्रस्टीशिप का प्रारंभिक रूप में प्रतिपादन किया था। उनके शब्दों में, पूंजीपति अपनी संपत्ति के "धरोहर मात्र" हैं, जबकि समाज उस संपत्ति का वास्तविक हकदार है।

गांधीजी चेतावनी देते थे कि यदि धनी वर्ग अपनी संपदा को जनहित में स्वेच्छा से साझा नहीं करेंगे, तो समाज में असंतुलन और शोषण के चलते हिंसक क्रांति अवश्यंभावी है। ट्रस्टीशिप को वे इस समस्या का अहिंसक समाधान मानते थे। प्रारंभ में गांधीजी को भरोसा था कि नैतिक अनुनय द्वारा पूंजीपतियों को सामाजिक उत्तरदायित्व का निर्वहन करने के लिए प्रेरित किया जा सकता है। कई उद्योगपतियों – जैसे जमनालाल बजाज – ने उनके आह्वान पर सादगीपूर्ण जीवन अपनाया और अपने धन का बड़ा अंश लोकहित कार्यों में लगाया। यहाँ तक कि भारतीय उद्योग जगत में टाटा परिवार ने भी परोपकार और कर्मचारी कल्याण की परंपरा डाली, जो गांधी के ट्रस्टीशिप विचार से मेल खाती थी।

ट्रस्टीशिप सिद्धांत की प्रासंगिकता आधुनिक काल में और बढ़ गई है। स्वयं गांधीजी ने 1940 के दशक में माना था कि सरकार को उचित नीतियों द्वारा संपत्ति के न्यासिता सिद्धांत को लागू करना पड़ेगा, क्योंकि सभी पूंजीपति स्वेच्छा से त्याग के लिए तैयार नहीं होंगे। आज भारत में कानूनी रूप से बड़ी कंपनियों के लिए *कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (CSR)* खर्च करना अनिवार्य किया गया है, जिसे गांधीवादी ट्रस्टीशिप दर्शन की एक *व्यावहारिक अभिव्यक्ति* माना जाता है। अनेक उद्यमी अपनी संपदा का एक हिस्सा शिक्षा, स्वास्थ्य, ग्रामीण विकास आदि कार्यों में दान कर रहे हैं। उदाहरणस्वरूप, आई.टी. उद्योग के अग्रणी अज़ीम प्रेमजी ने हाल ही में अपनी लगभग आधी संपत्ति (करीब ₹53,000 करोड़ मूल्य के शेयर) परोपकार हेतु अज़ीम प्रेमजी फ़ाउंडेशन को दान कर दिए। यह गांधीजी के ट्रस्टीशिप सिद्धांत की वर्तमान प्रासंगिकता का जीवंत प्रमाण है।

सर्वोदय और सामाजिक कल्याण

सर्वोदय का अर्थ है "सभी का उदय" या "सभी का कल्याण" – यह गांधीजी के सामाजिक दायित्व संबंधी दृष्टिकोण का सार है। जॉन रस्किन की पुस्तक *Unto This Last* से प्रेरित होकर गांधीजी ने *सर्वोदय* का सिद्धांत विकसित किया था, जिसके अनुसार समाज के सबसे निचले पायदान पर खड़े व्यक्ति का उत्थान ही वास्तविक प्रगति का मानक है। गांधीवादी *सर्वोदय* दर्शन में प्रत्येक व्यक्ति का यह दायित्व निहित है कि वह अपने से कमजोर और वंचित लोगों के हित के लिए कार्य करे। "सबका साथ, सबका विकास" का आज का लोकप्रिय सूत्र वास्तव में गांधीजी के सर्वोदयी चिंतन से ही मेल खाता है, जिसमें *अंत्योदय* (सबसे अंतिम व्यक्ति का उदय) को विशेष महत्व प्राप्त है। गांधीजी ने ग्राम स्वराज की परिकल्पना भी इसी सिद्धांत पर की थी कि विकास का लाभ समाज के अंतिम जन तक पहुँचना चाहिए।

सर्वोदयी समाज के निर्माण के लिए गांधीजी ने अनेक *रचनात्मक कार्यक्रम* चलाए, जैसे ग्राम स्वच्छता, छुआछूत उन्मूलन, ग्रामोद्योग का प्रोत्साहन, नारी शिक्षा, शराबबंदी आदि। इन सभी कार्यों के मूल में समाज के प्रति दायित्व की भावना थी, जिसे गांधी अपने निजी उदाहरण से स्थापित करना चाहते थे। उन्होंने खुद अपने आश्रम में सफाई का काम करके दिखाया, दलितों के साथ समान व्यवहार करके सामाजिक समरसता का संदेश दिया, तथा चरखा कातकर आत्मनिर्भरता एवं श्रम के सम्मान को बढ़ावा दिया। गांधीजी का मानना था कि जब तक हर व्यक्ति शारीरिक श्रम नहीं करेगा और उत्पादक योगदान नहीं देगा, तब तक परस्पर निर्भरता व सामाजिक न्याय कायम नहीं हो सकता। इस प्रकार उनके *श्रम-सिद्धांत* (Bread Labour) में भी सामाजिक दायित्व निहित था – हर समर्थ व्यक्ति का दायित्व है कि वह श्रम करके अपनी आजीविका कमाए और समाज पर बोझ न बने।

सात सामाजिक पाप: नैतिक चेतावनी

गांधीजी ने समाज को नैतिक पतन से बचाने के लिए *"सात सामाजिक पाप"* की अवधारणा प्रस्तुत की थी। ये सात पाप इस प्रकार हैं: (1) सिद्धांतहीन राजनीति, (2) परिश्रम रहित धन, (3) नैतिकता रहित व्यापार, (4) मानवता रहित विज्ञान, (5) चरित्र रहित शिक्षा, (6) अंतःकरण रहित सुख, और (7) त्याग रहित पूजा। इन सिद्धांतों के माध्यम से गांधीजी ने जिन प्रवृत्तियों से सावधान किया, वे सभी कहीं न कहीं सामाजिक दायित्वों की उपेक्षा से उत्पन्न होती हैं। मसलन, *"नैतिकता रहित व्यापार"* इस ओर संकेत करता है कि यदि व्यापारी अपना सामाजिक दायित्व (न्यायपूर्ण मूल्य, गुणवत्ता, ईमानदारी) नहीं निभाते और केवल मुनाफ़े को प्राथमिकता देते हैं, तो वह पाप की श्रेणी में आएगा। इसी तरह "परिश्रम रहित धन" बताता है कि समाज में बिना परिश्रम के धन अर्जित करना (शोषण या भ्रष्ट तरीकों से) नैतिक अपराध है। गांधीजी के ये आदर्श कथन व्यक्तिगत और संस्थागत स्तर पर सामाजिक जिम्मेदारियों की याद दिलाते हैं, और आज के समय में भी उतने ही प्रासंगिक हैं जितने अपने समय में थे।

उपरोक्त पहलुओं से स्पष्ट है कि गांधीवादी दर्शन में सामाजिक दायित्व कोई विकल्प या गौण विषय नहीं था, बल्कि नैतिकता का मेरुदंड था। गांधीजी ने व्यक्ति-कल्याण और समाज-कल्याण को अलग न मानकर एक अभिन्न धारणा के रूप में देखा। उनके लिए *धर्म* का अर्थ केवल पूजा-पाठ नहीं, बल्कि समाज की सेवा था। गांधीजी ने अपने एक भाषण में कहा भी था कि *"मैं जिन वस्तुओं को धर्म मानता हूँ, उनमें मुख्य दो हैं – सत्य और अहिंसा। लेकिन सत्य और अहिंसा भी तब तक अधूरी हैं, जब तक वे समाज की सेवा में प्रयुक्त न हों"* (गांधी, 1940)। समग्र रूप में, गांधीवादी दर्शन यह संदेश देता है कि प्रत्येक व्यक्ति अपने निजी हित से ऊपर उठकर जब समाज के प्रति उत्तरदायी व्यवहार करता है, तभी *सच्चे रामराज्य* या आदर्श समाज की स्थापना संभव है।

आधुनिक भारतीय नैतिकता में सामाजिक दायित्व

स्वतंत्रता उपरांत भारत के सामाजिक-राजनीतिक विमर्श में नैतिकता एवं दायित्व के प्रश्न केंद्रीय रहे हैं। आधुनिक भारतीय नैतिक चिंतन में *पश्चिमी उदारवादी* विचारों (जो अधिकारों पर अधिक बल देते हैं) की तुलना में *कर्तव्य-प्रधान* दृष्टिकोण अधिक उभरकर सामने आया। इसका श्रेय काफी हद तक गांधीजी के प्रभाव और भारत की अपनी दार्शनिक परंपरा को जाता है। "आधुनिक नैतिकता" से यहाँ तात्पर्य उन नैतिक सिद्धांतों और मूल्यों से है जिन्हें समकालीन भारतीय विचारकों, नीति-निर्माताओं और समाज सुधारकों ने प्रतिपादित किया या अपनाया है। इन विचारों में अक्सर गांधीवादी मूल्यों की छाप दिखाई देती है, लेकिन नई चुनौतियों के संदर्भ में नए समाधान भी प्रस्तावित किए गए हैं।

भारतीय संविधान और नागरिक कर्तव्य

एक महत्वपूर्ण उदाहरण भारत का संविधान है, जिसमें मूल अधिकारों के साथ-साथ *मूल कर्तव्यों* (Fundamental Duties) को भी सम्मिलित किया गया है। 1976 में 42वें संविधान संशोधन द्वारा 11 मूल कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा गया, जिनमें राष्ट्र की एकता बनाए रखना, महान स्वतंत्रता संग्राम के आदर्शों का पालन करना, सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना, आदि शामिल हैं। यद्यपि ये कर्तव्य न्यायालय द्वारा बाध्यकारी रूप से लागू नहीं होते, फिर भी इनका उल्लेख यह दर्शाता है कि भारत जैसे लोकतंत्र में केवल अधिकारों की चर्चा पर्याप्त नहीं, बल्कि नागरिकों के दायित्वों को भी औपचारिक रूप से स्वीकार करना आवश्यक है। स्वयं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी न्यूयॉर्क टाइम्स में प्रकाशित एक लेख में गांधीजी को उद्धृत करते हुए लिखा कि *"अधिकारों का असली स्रोत कर्तव्य है, यदि हम सभी अपने कर्तव्यों का पालन करें, तो हमें अधिकारों को ढूंढना नहीं पड़ेगा"*। यह कथन आधुनिक भारतीय शासन दृष्टिकोण में गांधीवादी विचारधारा की निरंतरता को दर्शाता है।

गांधीवादी अनुयायियों के आंदोलनों में नैतिकता

महात्मा गांधी के सबसे प्रमुख अनुयायियों में से एक आचार्य विनोबा भावे थे, जिनका सम्पूर्ण चिंतन नैतिकता एवं सेवा पर आधारित था। विनोबा भावे ने 1951 में *भूदान आंदोलन* शुरू किया, जो स्वैच्छिक भू-सम्पदा के पुनर्वितरण का अभियान था। वे गाँव-गाँव पदयात्रा करके जमींदारों एवं भूमिपतियों को प्रेरित करते थे कि वे अपनी भूमि का एक अंश भूमिहीन किसानों को दान में दें। भूदान आंदोलन वस्तुतः गांधी के ट्रस्टीशिप सिद्धांत का व्यावहारिक अनुप्रयोग था – संपत्ति के प्रति नैतिक जिम्मेदारी का निर्वाह। विनोबा ने स्पष्ट कहा कि भूमि का समान वितरण केवल सरकारी कानून से नहीं, बल्कि जन-आंदोलन एवं नैतिक जागृति से ही संभव है। यह प्रयास भारतीय समाज में *न्यासिता* और *सर्वोदय* की भावना को मजबूत करने वाला था। विनोबा भावे ने आगे चलकर *सर्वोदय समाज* की स्थापना की, जो रचनात्मक कार्यकर्ताओं का अखिल भारतीय संगठन था और जिसका लक्ष्य अहिंसक तरीके से सामाजिक परिवर्तन लाना था। विनोबा का जीवन और कार्य आधुनिक भारत में नैतिकता-आधारित सामाजिक दायित्व की एक उज्ज्वल मिसाल प्रस्तुत करता है। उन्हें 1958 में रेमन मैगेसेसे पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया, जो उनके द्वारा स्थापित नैतिक आदर्शों की अंतरराष्ट्रीय मान्यता थी।

एक अन्य विख्यात गांधीवादी, जयप्रकाश नारायण (JP), ने 1970 के दशक में *"संपूर्ण क्रांति"* का आह्वान किया। यह आंदोलन केवल राजनीतिक बदलाव नहीं, बल्कि सामाजिक-नैतिक परिवर्तन का संपूर्ण अभियान था। जयप्रकाश नारायण ने युवाओं से आह्वान किया कि वे *भ्रष्टाचार, अन्याय और अधर्म* के विरुद्ध आवाज़ उठाएं और देश को नैतिक दृष्टि से जागृत करें। 1975-77 के आपातकाल के दौरान जयप्रकाश नारायण द्वारा नेतृत्वित आंदोलन में "दूसरी आजादी" की मांग के साथ-साथ *नैतिक पुनर्निर्माण* पर भी जोर था। उन्होंने कहा था कि *"अगर हमारी आज़ादी अव्यवस्था, भ्रष्टाचार और अनैतिकता की भेंट चढ़ रही है तो हमें सामाजिक क्रांति द्वारा एक नैतिक समाज का निर्माण करना होगा।"* आधुनिक भारतीय नैतिक चिंतन में जेपी का योगदान यह दर्शाता है कि स्वतंत्रता के बाद भी भारतीय जनमानस गांधीजी की नैतिक विरासत को आगे बढ़ाते हुए सामाजिक दायित्वों के लिए सक्रिय रहा।

शिक्षा, युवा और नैतिक मूल्य

भारत के आधुनिक विचारकों ने शिक्षा को नैतिक मूल्यों के संवाहक के रूप में देखा है। देश के पूर्व राष्ट्रपति डॉ. ए.पी.जे. अब्दुल कलाम का जीवन-दर्शन इस संदर्भ में उल्लेखनीय है। डॉ. कलाम मानते थे कि *विज्ञान और तकनीक का इस्तेमाल नैतिक मूल्यों के साथ होना चाहिए*, तभी समाज का समग्र कल्याण संभव है। उन्होंने वैज्ञानिक समुदाय को संदेश दिया था कि *"शक्ति के साथ उत्तरदायित्व अनिवार्य है"* – अर्थात् जिस पर जितनी शक्ति या ज्ञान है, उस पर उतनी ही सामाजिक जिम्मेदारी भी है। बतौर राष्ट्रपति और शिक्षाविद्, कलाम ने छात्रों को सदैव प्रोत्साहित किया कि वे बड़े लक्ष्य

तो रखें, परंतु उन लक्ष्यों की प्राप्ति नैतिक साधनों से और समाज के हित को ध्यान में रखकर करें (कलाम, 2003)। वे शिक्षा में नैतिक कथाओं एवं जीवन-मूल्यों को शामिल करने के पक्षधर थे, ताकि बाल्यावस्था से ही कर्तव्य, ईमानदारी, सहानुभूति जैसे गुण विकसित हों। उनके द्वारा आरंभ किया गया "व्हाट कैन आई गिव" (मैं समाज को क्या दे सकता हूँ) नामक आंदोलन युवाओं को *देशसेवा और नैतिक आचरण* के लिए प्रेरित करने वाला कदम था। डॉ. कलाम का मानना था कि हर नागरिक यदि पहले खुद को सुधार ले और अपने दायित्व पूरे करे, तो राष्ट्र स्वयं ही प्रगति और नैतिकता के पथ पर आगे बढ़ेगा (यादव, 2015)। आधुनिक नैतिकता के परिप्रेक्ष्य में कलाम का दृष्टिकोण गांधीवादी विचार से समानता रखता है – पहले स्वयं परिवर्तन बनो जिसे तुम दुनिया में देखना चाहते हो।

इसी तरह, स्वामी विवेकानंद के संदेश भी आधुनिक भारत के नैतिक विमर्श को अनुप्राणित करते हैं। यद्यपि विवेकानंद उन्नीसवीं सदी के थे, लेकिन उनका प्रभाव स्वतंत्र भारत के नैतिक परिदृश्य पर स्पष्ट दिखता है। उन्होंने कहा था, *"नर सेवा ही नारायण सेवा है,"* यानी भूखे, गरीब, अशिक्षित जन की सेवा ही सच्ची ईश्वर-सेवा है। यह कथन सीधे-सीधे सामाजिक दायित्व की ओर इंगित करता है, कि हमारे आध्यात्मिक उत्थान का मार्ग भी समाज के प्रति कर्तव्यपालन से होकर जाता है। रामकृष्ण मिशन तथा अन्य सेवाकार्य संगठनों द्वारा शिक्षा, चिकित्सा, आपदा-राहत आदि क्षेत्रों में जो कार्य किए जाते हैं, वे इसी दर्शन से उपजे हैं। इन संगठनों ने आधुनिक भारत में सेवा और परोपकार की एक मज़बूत संस्कृति विकसित की है, जो सामाजिक दायित्व की भावना को संस्थागत रूप प्रदान करती है।

कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व और नैतिक व्यापार

उन्नीसवीं-बीसवीं सदी में भारतीय उद्योगपतियों – जैसे जमशेदजी टाटा, घनश्यामदास बिड़ला आदि – ने उद्योग की स्थापना के साथ ही सामाजिक कल्याण के कार्यों को अपनी ज़िम्मेदारी माना। टाटा ने श्रमिक कल्याण और कल्याणकारी योजनाओं की नींव डाली, तो बिड़ला ने शिक्षा तथा धर्मार्थ गतिविधियों में योगदान दिया। यह प्रवृत्ति स्वतःस्फूर्त थी और गांधी के विचारों से भी प्रेरित थी। इक्कीसवीं सदी में, उदारीकरण और आर्थिक विकास के साथ, कई कॉरपोरेट घरानों ने सीएसआर (CSR) के जरिए सामाजिक परियोजनाओं में निवेश बढ़ाया है। 2013 में कंपनी अधिनियम में संशोधन के जरिए भारत ने दुनियाभर में अनूठा कदम उठाते हुए बड़ी कंपनियों हेतु अनिवार्य *कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व* व्यय का प्रावधान किया। इसके तहत कंपनियाँ अपने मुनाफे का एक हिस्सा शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वच्छता, पर्यावरण आदि सामाजिक कार्यों में लगाती हैं। भारतीय नीति-निर्माताओं ने स्पष्ट रूप से माना कि उद्योगों का समाज के प्रति उत्तरदायित्व है जिसे विधिक रूप दिया जाना चाहिए। यह गांधीवादी ट्रस्टीशिप की अवधारणा का ही परिवर्तित रूप है।

एक ओर कुछ आलोचक तर्क देते हैं कि कई कंपनियाँ सीएसआर को केवल अपने *छवि निर्माण* या कर छूट के लिए करती हैं, पर दूसरी ओर हजारों उद्यमी एवं स्टार्टअप सत्यनिष्ठा से सामाजिक समस्याओं के समाधान में जुटे हैं। सूचना प्रौद्योगिकी से लेकर विनिर्माण क्षेत्र तक, अनेक व्यवसायियों ने परोपकारी ट्रस्ट व संस्थान स्थापित किए हैं – जैसे अज़ीम प्रेमजी फ़ाउंडेशन, टाटा ट्रस्ट, इन्फोसिस फाउंडेशन – जो शिक्षा, ग्रामीण विकास, पर्यावरण संरक्षण इत्यादि में महती भूमिका निभा रहे हैं। सरकार भी समय-समय पर उद्योग जगत को *"राष्ट्रीय निर्माण"* (nation-building) में भागीदार बनने का आह्वान करती है, जो सामाजिक दायित्व के सिद्धांत को ही इंगित करता है।

तालिका: गांधीवादी बनाम आधुनिक परिप्रेक्ष्य

नीचे दी गई तालिका में गांधीवादी दर्शन के प्रमुख सिद्धांतों और आधुनिक भारतीय नैतिक दृष्टिकोण के तुलनीय पहलुओं को संक्षेप में प्रस्तुत किया गया है। यह तालिका दर्शाती है कि कैसे गांधी के समय स्थापित मूल्य आधुनिक सन्दर्भों में नए रूपों में लागू या अभिव्यक्त हो रहे हैं।

गांधीवादी सिद्धांत	आधुनिक भारतीय नैतिक दृष्टिकोण
कर्तव्य बनाम अधिकार: गांधीजी के अनुसार वास्तविक अधिकार कर्तव्य-पालन से प्राप्त होते हैंs। हर व्यक्ति को पहले अपने कर्तव्य निभाने पर ध्यान देना चाहिए।	**मूल कर्तव्यों का प्रवर्तन:** भारतीय संविधान में नागरिकों के मूल कर्तव्य जोड़कर राष्ट्र ने गांधी के कर्तव्य-प्रधान दर्शन को मान्यता दी। आज नेता एवं नीति-निर्माता भी जनसेवा व कर्तव्य पालन पर जोर देते हैं।
ट्रस्टीशिप (न्यासिता): संपत्ति व धन को समाज की धरोहर मानना – धनवान व्यक्ति मात्र ट्रस्टी हैं, और अतिरिक्त संपत्ति समाज कल्याण में लगनी चाहिए।	**कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व:** कंपनियों द्वारा लाभ का एक हिस्सा सामाजिक विकास में खर्च करना अनिवार्य हुआ है। उद्योगपति परोपकार को अपनी ज़िम्मेदारी मान रहे हैं, जो ट्रस्टीशिप का ही प्रतिरूप है।
सर्वोदय का आदर्श: समाज के सबसे गरीब एवं कमजोर व्यक्ति के उत्थान को प्राथमिकता – "सबके लिए सुख" का सिद्धांत।	**समावेशी विकास:** नीतिगत स्तर पर पिछड़ों एवं वंचितों के लिए कल्याणकारी योजनाएं (शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार) चलाकर सर्वसाधारण के उत्थान का प्रयास; "अंत्योदय" को सरकारी कार्यक्रमों का लक्ष्य बनाना।
अहिंसा एवं सत्याग्रह: सत्य के आग्रह और अहिंसा के माध्यम से सामाजिक-राजनीतिक परिवर्तन लाना; साधन की पवित्रता पर बल।	**शांतिपूर्ण आंदोलन एवं मानवाधिकार:** आधुनिक भारत में अहिंसक विरोध प्रदर्शन, सत्याग्रह से प्रेरित आंदोलनों (जैसे पर्यावरण आंदोलन, भ्रष्टाचार-विरोधी जन आंदोलन) द्वारा बदलाव का प्रयास; मानवाधिकार की रक्षा के लिए संवैधानिक एवं अहिंसक उपाय अपनाना।
नैतिक शिक्षा एवं चरित्र निर्माण: गांधीजी के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य चरित्र व आत्मसंयम विकसित करना है; उन्होंने बुनियादी तालीम में हस्तशिल्प व नैतिक प्रशिक्षण शामिल किया।	**मूल्य-आधारित शिक्षा:** आज पाठ्यक्रमों में नैतिक शिक्षा, योग, सामुदायिक सेवा को शामिल किया जा रहा है। गुरुजन व सामाजिक नेता (जैसे डॉ. कलाम) नैतिक मूल्यों के संचार को शिक्षा का अभिन्न अंग मानते हैं।
रचनात्मक कार्यक्रम: ग्राम स्वच्छता, छुआछूत उन्मूलन, ग्रामोद्योग, स्त्री-शिक्षा आदि के जरिए समाज सुधार के गांधी के प्रयास – प्रत्येक नागरिक का दायित्व समझकर भागीदारी।	**सामाजिक अभियान:** स्वच्छ भारत अभियान, बालिका शिक्षा (बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ), डिजिटल साक्षरता, आदि सरकारी एवं गैर-सरकारी अभियानों में जनभागीदारी; आधुनिक भारत में नागरिक स्वयंसेवी संगठनों के जरिए सामाजिक दायित्व निभा रहे हैं।

तालिका 1: गांधीवादी सिद्धांतों और आधुनिक नैतिक दृष्टिकोण के बीच तुलनात्मक रूपरेखा।

निष्कर्ष

महात्मा गांधी द्वारा प्रतिपादित सामाजिक दायित्व के सिद्धांत और आधुनिक भारतीय नैतिक सोच में एक आश्चर्यजनक निरंतरता एवं साम्य दिखाई पड़ता है। यद्यपि समय, परिस्थितियों और चुनौतियों में परिवर्तन आया है, फिर भी मूल भावना अपरिवर्तित है – कि हर अधिकार के साथ एक जिम्मेदारी जुड़ी है, और समाज की उन्नति के लिए प्रत्येक सदस्य का योगदान देना आवश्यक है। गांधीवादी दर्शन ने हमें सिखाया कि *नैतिकता व्यक्तिगत और सामाजिक दोनों स्तरों पर सक्रियता से निभाए गए दायित्वों का ही दूसरा नाम*

है। अपने जीवन उदाहरण से गांधीजी ने दर्शाया कि सत्यनिष्ठा, त्याग, सेवा और प्रेम जैसे मूल्य केवल आदर्शवादी उपदेश नहीं, बल्कि व्यवहार में उतारे जाने वाले सिद्धांत हैं।

आधुनिक भारत में विकास की दौड़ के साथ नई समस्याएँ उत्पन्न हुईं – आर्थिक असमानता, पर्यावरणीय संकट, मूल्य-भ्रंश, आदि। इन सभी चुनौतियों का सामना करने के लिए आज पहले से भी अधिक आवश्यकता इस बात की है कि हम *गांधीवादी सामाजिक दायित्व* के मंत्र को याद रखें। चाहे वह एक कॉरपोरेट सीईओ हो, सरकारी अधिकारी हो, शिक्षक हो या आम नागरिक – सभी के आचरण में नैतिकता और उत्तरदायित्व का समावेश होना चाहिए। खुशहाल और समतामूलक समाज का निर्माण शीर्ष से नीचे थोपे गए नियम-कानूनों से नहीं, बल्कि *भीतर से जागे हुए नैतिक बल* से होगा – यही गांधीजी का दृढ़ विश्वास था।

समकालीन भारतीय विचारकों और नीतियों में हो रहा नैतिक आग्रह यह स्पष्ट संकेत देता है कि गांधी की विरासत जीवित है। जब प्रधानमंत्री से लेकर युवा उद्यमी तक *नैतिक नेतृत्व* और *समाज-सेवा* की बातें करते हैं, जब विद्यालयों में नैतिक शिक्षा पर बल दिया जाता है, जब न्यायालय और सिविल सोसायटी भ्रष्टाचार एवं अन्याय के विरुद्ध मुखर होते हैं – तो दरअसल गांधीवादी मूल्य ही कार्यरत होते हैं। सामाजिक दायित्व की भावना हमें यह याद दिलाती रहती है कि हम एक दूसरे से जुड़े हैं, और एक के कार्य का प्रभाव सभी पर पड़ता है।

अंततः, *सामाजिक दायित्व* के सिद्धांत में निहित है *"वसुधैव कुटुंबकम्"* की भावना – पूरा समाज एक परिवार है, जिसमें प्रत्येक सदस्य के कल्याण पर ही सामूहिक खुशहाली निर्भर करती है। गांधीवादी दर्शन ने इस पारिवारिक उत्तरदायित्व को अपने समय में मूर्त रूप दिया, और आधुनिक नैतिक चिंतन उसे नए आयाम देकर आगे बढ़ा रहा है। यदि हम इन सिद्धांतों का वास्तविक जीवन में अनुसरण करें, तो निश्चय ही एक अधिक न्यायपूर्ण, शांतिपूर्ण और समृद्ध समाज का निर्माण कर सकते हैं। गांधीजी के शब्दों में, *"हम स्वयं जिस परिवर्तन को देखना चाहते हैं, वैसा परिवर्तन दुनिया में लाएं"* – और यह परिवर्तन सामाजिक दायित्व के ईमानदार निर्वहन से ही संभव है।

संदर्भ

- गांधी, एम. के. (1938). *हिंद स्वराज.* अहमदाबाद: नवजीवन ट्रस्ट. (मूल रचना प्रकाशित 1909).
- जैन, सचिन कुमार. (2023). गांधी ने जिस संविधान का सपना देखा. संविधान संवाद. s
- यादव, हनुमंत. (2021, 18 नवम्बर). जानिए क्या आज भी प्रासंगिक है महात्मा गांधी का ट्रस्टीशिप सिद्धांत. हस्तक्षेप.
- प्रिया, विनीता. (2025). गांधीजी के सामाजिक विचारों में नैतिकता और मानवीय मूल्यों का प्रतिपादन. *इनोवेटिव रिसर्च थॉट्स*, 11(1), 159–165.
- विनोबा भावे. (2021). *विकिपीडिया* (हिंदी संस्करण) – भूदान आंदोलन एवं सर्वोदय संबंधी अनुभाग.
- कलाम, ए. पी. जे. अब्दुल. (2015). *माय जर्नी: ट्रांसफॉर्मिंग ड्रीम्स इंटू ऐक्शन्स* (हिंदी अनुवाद). हैदराबाद: यूनिवर्सिटीज प्रेस. (युवा पीढ़ी में नैतिक नेतृत्व पर विचार).

Disclaimer/Publisher's Note: The views, findings, conclusions, and opinions expressed in articles published in this journal are exclusively those of the individual author(s) and contributor(s). The publisher and/or editorial team neither endorse nor necessarily share these viewpoints. The publisher and/or editors assume no responsibility or liability for any damage, harm, loss, or injury, whether personal or otherwise, that might occur from the use, interpretation, or reliance upon the information, methods, instructions, or products discussed in the journal's content.

****